न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या :43 / 2025

निर्णय दिनांक :12.06.2025

सीसीएमएस संख्या– 2025 / 87

तिलोक चन्द पुत्र खिंवा राम जाति जाट निवासी ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)

...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपस्थित :–

1. श्री गोवर्धन लाल एडवोकेट वादी।
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 51 तादादी 7.8399 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से तिलोकाराम पुत्र खीवाराम वादगत खेत में खातेदारी में अंकित कर दिया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम तिलोक चन्द पुत्र खिंवा राम दर्ज है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है।

राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 51 तादादी 7.8399 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में वादी का नाम तिलोकाराम पुत्र खीवाराम दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम तिलोकचन्द पुत्र खिंवाराम दर्ज है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे तिलोकचन्द पुत्र खिंवाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग के पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बैंक पास बुक की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति, बिजली बिल की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम तिलोकचन्द पुत्र खिंवाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 51 तादादी 7.8399 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी तिलोकाराम पुत्र खीवाराम के स्थान पर तिलोकचन्द पुत्र खिंवाराम खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को टंकित करवाया जाकर अज अदालत में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला-चूरू

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता मालगी)

<u>(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)</u>

तिलोक चन्द बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 43 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुबाजरी श्री गोवर्धन लाल एड. मिनजानिब मुदई .. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 96 के खसरा संख्या 51 तादादी 7.8399 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम हेमासर अगुणा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी तिलोकाराम पुत्र खीवाराम के स्थान पर तिलोकचन्द पुत्र खिंवाराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज...मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख।2माह 06. 2025

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू

दस्तखत

ओहदा उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये